rative sector which comes under the State Government and help them to make their industry viable because they have to compete with private spinning mills with less profit because of production and supply of hank yam to the handloom sector at a reasonable price. Sir, the only solution to bring down the price of hank yarn and help the handloom sector and also to supply the same hank yarn to handloom sector is to start more cooperative sector units in all the States. We have done well in Tamil Nadu in co-operative spinning mills sector. We will start more cooperative spinning mills. We have helped about five lakh handlooms with those co-operative spinning mills. More co-operative spinning mills must be started with the Government of India's financial assistance .

Another aspect is about reservation policy. We all support the reservation policy of the Government of India to help handloom sector. But the difficulty is that the- organised sector will oppose. They will go to court. They have already gone to court and becouse of litigation it will be a failing proposition. The only way is that you use the power that you have got to pull up the organised sector and have a dialogue with them and find out some solutions so that this reservation policy which is hanging in fire for the past many years after independence to help the handloom sector, will be a fruitful one in this country. Thank you.

ALLOCATION OF TIME FOR GOVERNMENT LEGISLATIVE BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NA-GEN SAIKIA): I have to infora Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 11th September. 1991, allotted time for Government Legislative Business as follows:

Business	Time allotted
Consideration and passing of the following Bills, after these are passed by the Lok Sakha:	
(a) The Cancellation of General Elections in Punjab Bill, 1991	1 hour (to be discussed along with the Punjab Budget, 1991-92 and the Punjab Appropriation —Vote on Account No. 2 Bill, 1991)
(b) The Voluntary Deposits (Immunities and Exemptions Bill, 1991	1 hour
(c) The Electricity Laws (Amendment) Bill, 1991 . .	1 hour
(d) The Finance (No. 2) Bill, 1991	6 hours instead of 8 hours previously allotted.

The Committee recommended that in order to complete Government Legislative and other Business, the House should dispense with the lunch hour on Thursday, the 12th September, 1991 and also from Monday, the 18th September. 1991 to Wednesday, the 18th September, 1991.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF TEXTILES — CONTD.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I would like to draw your kind attention and, through you, of the Minister that the

[Shri Chimanbhai Mehta] question of sickness in the organised textile industry is assuming serious proportions. There are 105 mills which are closed and the employment which was around 12 lakhs has come down to 11 lakhs and 1,70,000 workers are still unemployed. Now, with such a giagantic proportion of the crisis what has the Ministry been able to do? Since 1985 there has been a new textile policy and there have been rehabilitation schemes. But I am sorry to point out that although for modernisation that also includes that you will have to pay for retrenchment and *tor* lying off the worker Rs. 635 crores were disbursed, the unemployed textile workers got only Rs. 35 crores. And out of the 1,70,000 workers only 20,000 workers have got the benefit of the rehabilitation package. Therfeore, in his reply let the Minister tell us how he is going to meet with this problem. We all believe that modernisation should take place. But I was surprised when I went through the report of the Ministry that composite mills could not stand the competition of the unorganised sector, that is, the powerloom sector. It was put that way that market forces were operating and cost benefits were being considered. Does it mean that the workers who are there should become unemployed?

Secondly, the workers in the powerloom sector complain that they get only 1/3 of the wages when compared to the wages in the organised sector. The workers in this sector also put in 8 hours of labour and yet they get only 1/3 of the wage of the organised sector. There are cases where the composite mill owners themselves set up small sets of powerlooms and pay l/3rd wages to these workers as compared to the workers in the organised sector. This is how they encourage rivalry and, ultimately, in the process the composite milts are turned sick so much so that the Government is compelled to allow them to continue with their spinning department and close down the weaving department. The Government should take serious note of these things instead of saying that the market forces are in play. The Government should not confuse it with market forces. This industry employs more than 15 million of people. It is a labour-intensive industry and therefore the Government should be more serious. Today the Government is talking in terms of delinking the weaving units from the spinning units. But, before the Government goes ahead with this, it should appreciate that the number of units that have been closed down is more in the composite sector than in the spinning sector. This industry has a great amount of potential. It is the single largest exporting unit in this country. Exports from this industry were to the tune of more than Rs. 8,000 crores or more in the year 1991. If the Government can work out a favourable agreement in the Uruguay Round of negotiations, I am sure, exports can further be explan-ded to our advantage. Now, coming to jute, the report has made contradictory statements. It says that the cultivation of Jute has expanded, so also has its production and exports. But, at the same time, the reported talks of importing certain amount of Jute under the Advance Licensing System. What I do not understand is that, when we are facing a shortage and are forced to go in for imports, how it is that we are exporting We can go for alternate scheme. I am not for this lobby or that lobby, i.e., the jute lobby or the plastic lobby. There are lobbyists everywhere and that is another matter. The cement industry finds that when cement is stored in jute bags, they lose 3 to 4 kilos of cement which is a national wastage. Cement can also be stored in plastic bags and the Government should make a detailed study in this regard. The jute industry needs to be modernised. This industry has machinery which is more than 150 years old. The machinery is obsolete and the Government should do something to modernise this machinery.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: They want bags of man made fibres for packing cement, fertilizers and also sugar.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I am referring to cement and fertilizers only.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: When these items are packed in the man-made fibre bags, they are converting into globules leasing their character causing loss to consumers. So, it is not correct to say that because these are packed in man-made fibre bags, they are not losing.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: All right. I am enlightened. I am just asking them to examine my suggestion. I am not for or against this.

I come from a textile mill area, in 1979-80, the area under cotton was 81 lakh hectares and that has come down by 5 lakh hectares now while production has gone up because per-hectare production which was 169 tonnes in 1980 has gone up to 279. It is a remarkable achievement of our farmers and growers. They want to export their cotton and yarn. But the organized mill industry, which is more powerful, would like cotton and yarn to be kept here se that the prices remain low. If they arc exported—the farmers export them through co operatives only and not through private dealers—the farmers will get more money. Cotton was used to the extent of 72 per cent in 1980 and it has now gone down to 60 per cent Blended and on-cotton material also has got a lot of potential. Now, advanced countries are using more and more cotton. But here the organizt d mill industry which is more powerful and which has got an effective voice in the newspapers, is creating more problems for them. I would like to know whether the rehabilitation scheme for the workers which you have introduced j!s covering all. This scheme covers only about twenty thousand workers out of one lakh and seventy thousand workers. So, what about the rest of the workers? I am not mentioning the jute workers. You should also find out whether jute can be exported so that jute growers can get some benefit. The workers' problems is there and you have to go into it. Your Ministry is a composite Ministry looking after several things.

You should also go into the question of high taxation on the textile industry which is also a problem. Sometimes this also leads to stagnation. I know that it is not the function of your Ministry, but that of the Finance Ministry That Ministry has to look into this question. They fixed a higher taxation and earlier because of this there was smuggling on account of the difference in the domestic and international prices. Now it is not possible to smuggle in a big way. So, you kindly consider all these aspects.

I thank you, Sir, for having given me this opportunity to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NA-GEN SAIKIA): Now, Mr. Minister to reply.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मिनिस्टर साहब को कल रिप्लाई देने दीजिए । आज यहां पांच आदमी नहीं हैं, कोरम नहीं है ।

मंत्री महोदय पहली बार रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसे कल करवाइये... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. *NA*-GEN SAIKIA): It has already been dceided and the House has already approved There is no point is raising this.

SHRI V. NARAYANASAMY; All of them are here. He can reply.

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक गहलोत) : उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले जो इस सदन में आज चर्चा हुई है, वह मैं समझता हूं कि बहुत ही बहुमूल्य है और हमारे मंत्रालय के लिए लम्बे समय तक मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध होगी ।

माननीय सदस्यों ने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये । उसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और मुझे आशा है कि उनके सुझाव से हम लोग जल्दी ही नई टेक्सटाईल पालिसी या कह दीजिए कि आबिद हुसैन कमेटी की जो रिपोर्ट तथा रिकोमेंडेशंस हैं, उसके आधार पर ही जो रिवाईज्ड पालिसी लाने जा रहे हैं, उसमें भी माननीय सदस्यों के सुझाव मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे ।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि यह मंत्रालय अपने में बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उससे प्रत्यक्ष रूप से करीब डेढ़-दो करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और पूरे देश के औद्योगिक उत्पादन का करीब 25 प्रतिशत इस मंत्रालय के द्वारा होता है । और जब एक तरफ मुल्क के सामने बेरोजगारी की चुनौती है और विदेशी मुद्रा की, तो ऐसे वक्त में मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय के माध्यम से जहां 25-30 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती हो, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और यही सोच करके जब से नई सरकार आई है, तब से हम लोगों ने तय किया कि जिस प्रकार के समाचार पिछले दिनों में सामने आ रहे हैं जिसकी तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया, चाहे वह एक्सपोर्ट को लेकर हों, चाहे वह कॉटन को लेकर हो और चाहे वह जूट इंडस्ट्री को लेकर हो, हमने यह तय किया है कि आबिद हुसैन कमेटी की जो रिपोर्ट और रिकोमेंडेशंस हैं—अब वह तो जनवरी 1990 में आ चुकी थी, पर दुर्भाग्य से वह लागू नहीं हो पाई, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

हमने सबसे पहले यह निर्णय किया है कि तीन महीने के अंदर-अंदर हम उसको केबिनेट में भेज देंगे और क्योंकि हमारे सी. पी. आई. (एम.) के माननीय सदस्य ने इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार के अधिकारी स्तर पर इसकी चर्चा हो चुकी थी, इसके बाद में मंत्रालय स्तर पर इसके ऊपर चर्चा हो चुकी थी और पिछले महीने 28 तारीख को हमने पूरे विभिन्न प्रदेशों के राज्य मंत्रियों को बुला कर उनसे चर्चा की थी और अब यह फाईनल स्टेज पर है और उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस तय करके हम केबिनेट के सामने रख सकेंगे और बहुत जल्दी उसे लागू कर सकेंगे ।

हम लोगों ने यह भी तय किया है कि जो एक्सपोर्ट का टार्गेट है, वह कंट्री के हालात को देखते हुए विदेशी मुद्रा के संकट को देखते हुए हम लोगों ने इस साल करीब तेरह हजार करोड़ रखा है और 1994-95 तक 26 हजार करोड़ का टार्गेट बनाया है और एंड आफ दी सेंचुरी, 50 हजार करोड़ का टार्गेट बनाया है । जब यह टार्गेट सामने रखते हैं, तो यह सवाल सामने उठता है कि वास्तव में जो समस्यायें हैं, उनको पार पाना बहुत आवश्यक है, जिसकी तरफ हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ध्यान आकर्षित किया है ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे वह मिल सेक्टर हो, चाहे हैंडलूम सेक्टर हो, चाहे पावरलूम सेक्टर हो, वैसे हमारे सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य प्रागदा कोटेया जी, जो हमेशा हैंडलूम के प्रति इस प्रकार से समर्पित हैं जो अपनी भावना अपने दिल से कहते रहते हैं, मुझसे भी वह कई बार मिले हैं और प्रधान मंत्री तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है और आज वास्तव में जो हमारे बुनकर भाई हैं, उनके सामने जो समस्या है, उससे सरकार चिंतित है । जो आज माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया है, चाहे हैंकयार्न की उपलब्धता की बात हो, चाहे उसकी प्राइस बढ़ने की

बात हो, पिछले एक महीने से जब से प्राइस ज्यादा बढ़ी है, हम लोगों ने उसके ऊपर कदम उठाए हैं और हमारी कोशिश रही है कि किसी तरह एक तो प्राइस स्टेबल हो और दूसरा प्राइस नीचे आ सके। हमने अविलम्ब सभी मुख्य मंत्रियों को और चीफ सेक्रेटीज को टेलेक्स भेजे हैं। उनसे कहा है कि आप अपने वहां पर कोआपरेटिव सैक्टर में, स्टेट सैक्टर में जो मिलें हैं उनको आप अधिक यार्न बढ़ाने की बात करें और कलैक्टर के माध्यम से डीहोर्डिंग का कैंपेन भी चलाएं। इसके साथ-साथ हमने टैक्सटाइल कमिश्नर को भी कहा है कि वह अपनी मशीनरी को एक्टिव करके डी होर्डिंग का कैंपेन बढ़े स्तर पर चलना चाहिए। दूसरी तरफ हमने एन० टी० सी० की जो मिलें हैं गवर्नमेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के रूप में उनको कहा है कि आप अपनी वीविंग एक्टीविटी को कम करके यार्न को ज्यादा प्रोड्यूस करें जिससे कि यार्न की उपलब्धता बढ़ सके। एक्सपोर्ट जो यार्न का हो रहा था उसके ऊपर यह सदस्य ने कहा इसकी कोई अखबार में रिपोर्ट आई है कि उसको हमने रिवर्स कर दिया है, जबकि मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमने उसको रखा है, रिव्यू कर रहे हैं, क्या स्थिति बनती है उसके आधार पर आगे निर्णय करेंगे। पर इतना मैं कहना चाहूंगा कि पहले हमारा ध्यान रहेगा कि कैसे हम बुनकरों को यार्न की पूरी सप्लायी कर सकें ताकि उनको यार्न उपलब्ध हो सके और एन. एच. डी. सी. के माध्यम से भी हमने कोशिश की है। जहां-जहां भी शिकायत आ रही है, नेशनल हैंडलूम डिवैलपमेंट कार्पोरेशन को कह रहे हैं कि वह वहां पर जा करके यार्न की उपलब्धता के बारे में पूरी तरह से जांच-पड़ताल करें और कोशिश करें कि उचित कीमत पर वहां पर यार्न मिल सके। इस तरह से हमने पिछले दिनों में कुछ कदम उठाए हैं और उसका असर भी पड़ा है। कई जगह पर 5 से 10 रुपये प्रति किलो उसके दाम कम भी हुए हैं। जहां तक आन्ध्र प्रदेश की जो बात कही गई है कि भूख से मरने तक की खबर माननीय कोटैया साहब और अन्य सदस्यों ने कहा है, मैं इसके लिए दो-तीन दिन में अपने अधिकारियों को भेज रहा हूं, जो जाकर जांच करेंगे कि वास्तव में वहां की स्थिति क्या है। क्योंकि मुझे कोटैया साहब ने पहले भी कहा कि साल भर पहले करीब 60 मौतें ऐसी हो चुकी हैं, यह मेरे लिए, मेरे मंत्रालय के लिए और सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है मैं यह भी चाहूंगा रिपोर्ट आने के बाद में, अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं स्वयं उन गांवों में जाऊंगा और जानकारी प्राप्त करूंगा कि वास्तव में हकीकत क्या है और क्या कारण है, उसको किस तरह हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि सिल्क यार्न के बारे में भी इसी प्रकार की शिकायतें की गई हैं। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को हम एक साथ देखेंगे। जहां तक रिजर्वेशन एक्ट के बारे में भी माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है, जैसा कि सदस्यों को मालूम है कि जब से हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट बना है तब से ही जो लोग विभिन्न हाई कोर्ट में चले गए थे जिसके कारण इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। मंत्रालय ने इसके सारे केसेज को सुप्रीम कोर्ट तक मंगा लिया और 1989 के अन्दर इसके लिए लार्ज बैंकिंग हो सकी, उसके बाद में पिछले डेढ़ साल में कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हुई है। हम लॉ मिनिस्ट्री से इस बात की और कोशिश कर रहे हैं कि सैन्ट्रल लॉ एजेंसी के माध्यम से हम जल्दी ही उसके ऊपर डेट ले सकें और सुनवाई करा सकें। दूसरी तरफ हम इस बात का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि इसको कैबिनेट में हमने नोट वापस भेजा है कि जल्दी से जल्दी जो नाइन्थ शैड्यूल में लाने की बात है जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन करके हम चाहेंगे कि इस एक्ट को हम जल्द लागू करा सकें। उसके लिए कैबिनेट में एक बार डिसीजन हो चुका है। मुझे आशा है कि जल्दी ही वहां से स्वीकृति मिलेगी जिससे संविधान में संशोधन बिल हम सदन में पेश कर सकेंगे। जनता क्लाथ के बारे में भी यह महसूस किया जा रहा है कि जो सबसिडी गवर्नमेंट दे रही है उसका लाभ उस गरीब तक नहीं पहुंचता है जिसके लिए सबसिडी लागू की गई है। क्योंकि न तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो रहा है और न उन बुनकरों को

[श्री अशोक गहलोत]

मिलता है । उसमें कई तरह की शिकायतें आने लग जाती हैं । चाहे वह हैंक यार्न पावरलूम सैक्टर में चला जाता हो या उसमें कुछ गड़बड़ी होती हो, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है मंत्रालय में, जो चार महीने में अपनी रिपोर्ट देगी । टैक्सटाइल सेक्रेटरी की चैयरमेनशिप में जिससे कि हम यह पता लगा सकें कि वास्तव में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होना चाहिए ताकि एक तरफ़ यार्न भी मिल सके बुनकरों को और दूसरी तरफ़ कपड़ा बुनकर के उन गरीबों तक पहुंच सके जिनके लिए कि वास्तव में यह योजना लागू की गयी है, पर इसमें यह शिकायत आती है कि बुनकरों को हैंक यार्न बराबर दामों पर मिलता नहीं है और अगर मिलता भी है तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उसके थ्रू यह काम करना पड़ता है और कई प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि हैंक यार्न उनको भी सप्लाय होना चाहिए जिससे कि वह कपड़ा बुनकर दे सकें और जो गवर्नमेंट की सबसिडी है उसका लाभ उनको मिल सके । इस बारे में हम प्रयत्नशील हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही आगे कार्यवाही करेंगे ।

जहां तक माडर्नाईजेशन फंड की बात कही गयी या आधुनिकीकरण की जो योजना बनी है, मैं समझता हूं कि उसका लाभ ज्यादा हमें मिला, देश को लाभ मिले क्योंकि साढ़े 7 सौ करोड़ की जो योजना थी, उसमें करीब 740 करोड़ तक वितरित हो चुका है । उसमें करीब 496 एप्लीकेशंस आयी थीं जिसके लिए योजना बनी थी 1,964.76 करोड़ की, उसमें 354 केसेज के अंदर सैंक्शन हो चुकी है 1,302.51 करोड़ की, पर डिसबर्समेंट हुआ है 280 एप्लीकेशंसके ऊपर 740.90 करोड़ का । हमने कोशिश की है कि इस फंड को साढ़े 7 सौ के बजाय 15 सौ करोड़ तक किया जाय जिससे कि जो सिक मिलें हैं, वह माडर्नाइज हो सकें क्योंकि इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप मे देखने को मिला है कि सिक मिलों की संख्या काफी घटी है । हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक तरफ तो मॉडर्नाइज करें और दूसरी तरफ यह जो आशंका व्यक्त की गयी है, माननीय सदस्य चिमन भाई अभी अहमदाबाद के बारे में बताया कि किस प्रकार से मजदूरों की छटनी हुई है और वे बेरोजगार हो गए हैं, उसके लिए सरकार बहुत चिंतित है । उसके लिए लेबर रिहैबिलिटेशन फंड वगैरह बने हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब नयी पालिसी आएगी, उसके आधार चाहेंगे कि माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर बात करें जिससे कि कोई हल निकल सके । यह एक चुनौती हम लोगों के सामने है कि लंबे समय से लाखों मजदूर बेरोजगार हैं । उनके लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में जो गुजरात से माननीय सदस्य आते हैं, मेरी कई मेंबर्स से चर्चा भी हुई है और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी चर्चा करके इसका कोई समाधान निकालें ।

एन० टी० सी० के बारे में चर्चा की गयी है । मैं इतना ही कह सकता हूं कि वैसे हम सबको इसका बैकग्राउंड मालूम है कि एन० टी० सी० की मिलें क्यों ली थीं, किस प्रकार से इसकी मशीनरी पड़ी हुई है, किस प्रकार से दूसरी मिलों की बजाय डेढ़ गुना वहां पर ज्यादा मजदूरों की संख्या है बल्कि वेस्ट बंगाल और यू पी के अंदर चार गुना ज्यादा वहां पर मजदूरों की संख्या है, प्रोडक्टिविटी वहां पर कम है, कैपिसिटी यूटिलायजेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर एन० टी० सी० की मिलें वहां पर चल रही हैं, वही कारण था कि मिलें काफी घाटे में चल रही थीं, पर जो आंकड़े आए हैं, उससे लगता है कि पिछले एक-डेढ़ साल के अंदर घाटा कुछ कम हुआ है जिसके फिगर्स मेरे पास हैं, लेकिन मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा पर इतना कह सकता हूं कि 122 मिलों में से जो चल रही हैं, उसमें से 35 मिलें लाभ अर्जित कर रही हैं । इसमें सबसे बड़ा सोशल आब्लीगेशन का जो पाइंट है, वह सामने रखकर चलना पड़ रहा है । इस कारण से आज यह स्थिति बनी हुई है, पर सदन की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो एक ब्रेक थ्रू हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर कि वर्कलोड नार्म्स

जो था उसके बारे में एक 20-22 साल से चर्चा चल रही थी और कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे । मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले दिनों जब मैं वेस्ट बंगाल गया और वहां के मुख्य मंत्री से मैंने बात की, उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला हुआ कि वहां की मजदूर संघों ने, वहां की सरकार ने और एन टी सी० तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट कर लिया जिसके अंदर वर्कलोड नार्म्स को उन्होंने स्वीकार किया और 14 मिलें थीं उनको 12 में कनवर्ट करने के लिए भी वह लोग एग्री हो गए। इससे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर वहां इस नार्म्स के लागू होने से मजदूरों का वेज भी बढ़ा है और वे तीन शिफ्ट में काम कर सकेंगे । तो यह एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट वहां पर हुआ है जिससे लगता है कि उसके बाद हमारी जो यू० पी सबसिडियरी है एन० टी० सी० की, उसमें भी इस प्रकार से नार्म्स लागू हो सकेंगे । हम लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले ही वहां के मजदूर संघों से बात शुरू की है और हम एक नये वातावरण एन० टी० सी० के अंदर बनाना चाहते हैं जिससे कि जो मिलें घाटे में चल रही हैं,वे प्राफिट में आ सकें ।

7.00 म.प.

जूट सैक्टर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जूट माडर्नाइजेशन फण्ड और जूट डेवलपमेंट फण्ड की स्थापना के बारे में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के समय में बहुत बड़ा कदम उठाया गया था और जूट पैकेजिंग एक्ट भी लागू किया गया था । उस वक्त एक नया माहौल बना कि इसके फायदे मिलेंगे और उन फायदों के माध्यम से यह इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो कर सकेगी । पर मैंने खुद महसूस किया कि जूट माडर्नाइजेशन फण्ड का जो पैसा था, वह पूरा उपयोग नहीं हो पाया, उसमें जो वहां के उद्योगपति थे उनकी भी रुचि कम रही । तो मैंने इस बारे में बातचीत की है, जब मैं अभी कलकत्ता गया था और मेरी कोशिश है कि इसके माध्यम से वहां की मिलों का आधुनिकीकरण हो जिससे मजदूरों को भी फायदा मिलेगा और जूट का एक्सपोर्ट भी हो सकेगा तथा और जो शिकायतें सदस्यों ने की हैं, उनको भी दूर करने की हम कोशिश कर सकेंगे ।

सुकोमल सेन जी ने कहा था कि जूट माडर्नाइजेशन फण्ड से लोन तभी मिलता है अगर मिल मजदूरों की संख्या घटाए, तो यह कोई सत्य बात नहीं है और इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। वाइब्लिटी के आधार पर ही वहां पर इस प्रकार का लोन देने की व्यवस्था की हुई है । उन्होंने एक बात और कही कि कई मिलें पी० एफ० और ई० एस० आई०, जो ड्यू है, वह नहीं दे रही हैं। यह बात सत्य है और यह राज्य सरकार और वहां की जो लेबर मिनिस्टरी है, उसके माध्यम से यह बात लागू हो सकती है । हमने जो डी. जी० एस० एण्ड डी० के आर्डर्स हैं, उनसे उनको वंचित करके दबाव डालने की कोशिश की है । उनका यह भी कहना था कि जो पदार्थ हैं उनकी पेकिंग कम्पलसरी होनी चाहिए । मैं आपको कह चुका हूं कि अभी हाल ही में जो पैकेजिंग एक्ट है उसके अंतर्गत अभी फूड ग्रेन 100 प्रतिशत पैक होता है, शुगर 100 प्रतिशत पैक होता है, यूरिया 100 प्रतिशत पैक होता है और सीमेंट 70 प्रतिशत पैक होता है, पर सीमेंट के अधिकांश लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और चैलेंज कर रखा है एक्ट को और इसके कारण जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें हम कह सकते हैं कि खाली 30 प्रतिशत ही उसमें पैक हो रहा है ।

संतोष बागड़ोदिया जी का कहना था कि जूट में आर० एण्ड डी० जो है, उसके लिए सरकार प्लान और नॉन प्लान बजट में पर्याप्त धन उपलब्ध कराए । उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि स्पेशल जूट डेवलपमेंट फण्ड से तीन वर्षों के लिए करीब तीन करोड़ रुपए आर० एण्ड डी० के लिए रखे गए हैं । उनका कहना था कि जूट पैकेजिंग एक्ट को सिदड़ां नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में मैं कह चुका हूं कि 70 प्रतिशत जो सीमेंट उद्योग से संबंधित लोग हैं, वे चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, इसलिए हम उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, वरना वह पूरा लागू हो रहा है ।

[श्री अशोक गहलोत]

इसके अलावा मैं आपको इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सुझाव दिए गए हैं और जो चर्चा हुई, वह अंतिम चर्चा नहीं बल्कि हम चाहेंगे कि समय-समय पर माननीय सदस्य हमें सुझाव भेजते रहें।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैंने माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी लिखा था कि वे अपने सुझाव अगर दे सकें तो हमारे लिए उनको लागू करना ज्यादा उपयोगी होगा, मुझे उम्मीद है कि वे सुझाव हमारे पास आएंगे जिससे कि आने वाले वक्त में हम लोग उनको लागू करने में उनका उपयोग कर सकें।

माननीय सदस्यों ने कई कीमती सुझाव दिए हैं, यह जरूर है कि मैंने उनमें से कई रेफर नहीं किए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, वे भी महत्व रखते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि उन सुझावों के आधार पर मैं एक नोट बनवा कर आपको भेजूं। इसके अतिरिक्त और भी कोई माननीय सदस्य अगर सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: The hon. Minister referred to NTC. I want to know about the working of the NTC. The working of the NTC has been criticised almost in every session with regard to irregularities. Recently, in the Bush-Bear of UP., a B1C company, 20,000 workers were there; now many of them are being rendered unemployed; their wages have not been paid for months. Kindly treat this matter as a very urgent matter. Although the President bad said that the Chairman of the company cannol be appointed during election time, he was appointed against all the rules. Why nobody knows that this kind of irregularity has been there? Probably, you would have looked at the files. So, at least this irregularity should be removed. Kindly look into it.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

1. The Special Protection Group (Amendment) Bill, 1991

2. The Remittances of Foreign Exchange and investment in Foreign Exchange Bonds (Immunities and exemptions) Bill, 1991

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to report to the House, the following messages received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

(1)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Special Protection Group (Amendment) Bill, 1991, as passed by Lok Sabha at its sitting held *on* the 11th September, 1991."

(2)

"In accordance with the provisions ox Rure go of the Rules of nuttuuit ana Conauct ox Business in Lok Saona, I am directed to enclose the Remittances of .foreign -t-xenaiige and Investment in Foreign Excnange Bonds (.Immunities and Exemptions) Bill, 1991, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th September, 1991.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India."

I lay a copy of each of the Bills on the Table of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NA-GEN SAIKIA): The House is adjourned till 11.00 A.M. on Thursday, the 12th September, 1991.

The House then adjourned at six minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 12th September, 1991.